डॉ. रवि रंजन न्यायमूर्ति के समक्ष

रेशु और अन्य-अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ-उत्तरवादी

2012 का एफ. ए. ओ. संख्या 1336

31 मई, 2019

रेलवे ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1987-प्रामाणिक यात्री-अंबाला छावनी में दुर्घटनावश ट्रेन से गिरने से मृत्यु—न्यायाधिकरण ने इस आधार पर मुआवजा देने से इन्कार कर दिया कि मृतक बिना टिकट यात्री था क्योंकि उसके पास नई दिल्ली से अंबाला छावनी तक की यात्रा के लिए टिकट नहीं था — क्योंकि मृतक ने अंबाला कैंट से मुजफ्फर नगर तक का रेलवे टिकट खरीदा था और मृतक के सामान की बरामदगी के लिए व्यापक खोज के संबंध में मुकदमे की फाइल में कोई रिकॉर्ड नहीं था, यह नहीं माना जा सकता कि मृतक एक बिना टिकट यात्री था क्योंकि उसने पहले ही अंबाला छावनी से मुजफ्फर नगर तक का टिकट खरीद लिया था।

माना गया कि, ऐसी परिस्थितियों में, यह मानना बहुत कठोर होगा कि मृतक अपनी पत्नी के साथ अंबाला छावनी से मुजफ्फर नगर जाने के लिए टिकट खरीदता था, लेकिन नई दिल्ली से अंबाला छावनी की यात्रा के लिए वह अपने लिए कोई टिकट नहीं खरीदेगा, भले ही उसके पास पर्याप्त धन था ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना टिकट यात्री होगा, बल्कि उसके उपरोक्त आचरण से पता चलता है कि वह हमेशा टिकट खरीदने के लिए इच्छुक था। ऐसा कहने पर इस तरह की रेल दुर्घटना में टिकट खोने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि होगी।

(पैरा 9)

आगे माना गया कि उपरोक्त के अलावा, डीआरएम की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों से यह नहीं पाया जा सकता है कि मृतक के सामान को बरामद करने या पता लगाने के लिए दुर्घटना स्थल या आस-पास के क्षेत्र मे व्यापक खोज की गई थी। ऐसी स्थिति में, उपस्थित परिस्थितियों से पता चलता है कि मृतक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना टिकट यात्रा करता था क्योंकि उसने अपनी यात्रा के लिए 12.05.2010 को अंबाला छावनी से मुज्जफरनगर तक का टिकट खरीदा था और इस तरह की गंभीर दुर्घटना मे टिकट खोने की संभावना हमेशा बनी रहेगी लेकिन, मृतक के सामान का पता लगाने के लिए कोई व्यापक खोज नहीं की गई थी।

(पैरा 10)

(डॉ. रवि रंजन, न्यायमूर्ति)

आगे कहा गया कि, ऊपर की गई चर्चा के अनुसार, मृतक को एक प्रामाणिक यात्री माना जाना चाहिए।

(पैरा 11)

आगे कहा गया, कि आमतौर पर, रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (मुआवजा) नियम, 1990 के अनुसार दुर्घटना की तारीख पर उपलब्ध मुआवजे की राशि, 4 लाख रुपये की राशि होगी। हालाँकि, रीना देवी (सुप्रा) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि फैसले की तारीख पर, 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी होने वाले उपरोक्त नियमो में किए गए संशोधन के अनुसार बढ़ी हुई राशि उचित ब्याज जोड़ने के बाद भी पहले प्रावधान के तहत उपलब्ध राशि से अधिक होगी, तो दोनों में से जो अधिक होगा, वह उचित और उचित मुआवजा होगा। हालांकि, वर्तमान मामले में, हालांकि न्यायाधिकरण ने 29.09.2011 को मामले का फैसला किया है कि जिस तारीख को उपरोक्त नियमों में संशोधन उपलब्ध नहीं था, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि न्यायाधिकरण ने कोई पुरस्कार नहीं दिया है, बल्कि उसने दावा आवेदन को खारिज कर दिया है और इस न्यायालय के वर्तमान निर्णय के तहत मुआवजे की राशि दावेदारों या अपीलार्थियों को दी जा रही है। इस प्रकार, मेरे विचार में, उस तारीख को जितनी अधिक राशि उपलब्ध होगी, वह उचित और उचित मुआवजे की राशि होगी। यदि उपरोक्त संशोधन से पहले नियमानुसार उपलब्ध 4 लाख रुपये की राशि को, 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ जोड़ दिया जाए, तो भी राशि यह लगभग 7,24,00,00/- रुपये होगी जोकि नियमो मे उपरोक्त संशोधन के बाद बढ़ाई गई राशि यानि 8 लाख रुपए से कम होगी इस प्रकार, दोनों में से जो भी अधिक हो यानि 8 लाख रुपये की राशि वर्तमान मामले में उचित मुआवजा होगी। उक्त मुआवजा की राशि पर वर्तमान आदेश की तारीख से दावेदारों या अपीलकर्ताओं के पक्ष में इसके भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगेगा।

(पैरा 17)

सोमेश गुप्ता, अधिवक्ता
अपीलार्थियों के लिए।
आर. के. वशिष्ठ, उत्तरवादी के लिए अधिवक्ता-यू. ओ. आई

डॉ. रवि रंजन, न्यायमूर्ति ओरल

(1) यह अपील रेलवे दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा केस संख्या OA-II-140/2010 मामले में पारित 29.11.2011 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

जिसके आधार पर रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 16 के तहत आवेदकों/ अपीलार्थियों द्वारा दायर दावा आवेदन को न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(2) दावेदारों ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 14/15.05.2010 को 1987 की धारा 16 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें खुलासा किया गया कि मृतक नई दिल्ली से अंबाला छावनी आ रहा था क्योंकि वह वहाँ एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था। 14.05.2010 को वह सुरक्षा गार्ड के कुछ काम की तलाश में मुजफ्फर नगर से नई दिल्ली पहुंचा। शाम को वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और नई दिल्ली से अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के लिए टिकट खरीदा। रेलवे स्टेशन, हालांकि, जब ट्रेन मोहरी और अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशनो के बीच पहुंची, वह दुर्घटनावश ट्रेन से गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गेटमैन ने स्टेशन मास्टर को जानकारी दी जिन्होंने जीआरपी, अंबाला कैंट को ज्ञापन जारी किया जीआरपी कर्मी मौके पर पहुंचे और रिपोर्ट तैयार की। जीआरपी ने शव की तलाशी से अंबाला छावनी से मुजजफरनगर के दो टिकट, 1580 रुपए नकद और एक पहचान पत्र बरामद किए। दोनों टिकट 12.05.2010 को अंबाला छावनी से मुजफ्फर नगर के लिए जारी किए गए। दावेदारों का कहना यह है कि नई दिल्ली से अंबाला छावनी का टिकट रेलवे दुर्घटना में खो गया था। यह भी कहा गया है कि दावेदारों/अपीलकर्ताओं को दुर्घटना के बारे मे जीआरपी, अंबाला छावनी से प्राप्त सूचना पर पता चला और फिर वे सिविल अस्पताल, अंबाला पहुंचे और शव की पहचान की।

(3) उत्तरवादी-रेलवे ने लिखित बयान दाखिल करके दावे का विरोध करते हुए कहा कि इस घटना को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) के तहत परिकल्पित अप्रिय घटना के अर्थ में शामिल नहीं किया जाएगा (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), जैसे कि अधिनियम की धारा 124-ए के कुछ प्रावधानों के मद्देनजर, दावेदारों/आवेदकों को किसी भी मुआवजे की राशि का भी हकदार नहीं होना चाहिए इस कारण से भी कि नई दिल्ली से अंबाला छावनी की यात्रा के लिए कोई टिकट नहीं मिला है। मृत शरीर से, मृतक को एक प्रामाणिक यात्री नहीं माना जा सकता है।

(4) न्यायाधीकरण ने पक्षों के वाद विवाद पर विचार करते हुए निम्नलिखित मुद्दे तय किए

1. क्या मृतक एक प्रामाणिक यात्री था, जैसे कि आरोप लगाया ?
2. क्या कथित घटना रेलवे अधिनियम की धारा 124-ए के साथ पठित धारा 123 (सी) के दायरे में आती है?

3. क्या आवेदक मृतक के एकमात्र आश्रित है?
4. राहत

(5) मुद्दे नं.1 और 2 आपस में जुड़े होने के कारण, न्यायाधिकरण द्वारा विचार के लिए एक साथ उठाए गए थे।

(6) न्यायाधिकरण ने दावा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह चौंकाने वाला है क्योंकि अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से मुजफ्फर नगर रेलवे स्टेशन तक पहले खरीदे गए दो रेलवे टिकट मृतक के शव की तलाश मे पाए गए, लेकिन ताज्जुब की बात है कि नई दिल्ली से अंबाला छावनी तक की यात्रा का कोई टिकट बरामद नहीं हुआ। तदनुसार, न्यायाधिकरण, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मृतक ने कोई टिकट नहीं खरीदा था और इसलिए, उसे एक प्रामाणिक यात्री नहीं माना जा सकता है।

(7) इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने यह भी पाया है कि गेट संख्या 102 के गेटमैन ने केवल यह सूचित किया है कि के. एम. 196/22-24 पर उत्तर प्रदेश रेलवे लाइन पर एक शव पड़ा था और हालांकि रिकॉर्ड पर कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि मृतक को ट्रेन से मारा गया था या कुचल दिया गया था, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ साथ परिस्थितियाँ भी यही संकेत देती है क्योंकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि वह आकस्मिक रूप से गिरा था। यह अभीनिर्धारित करते हुए न्यायाधिकरण ने यह भी देखा कि स्थल-मानचित्र में दिखाए गए रेलवे पटरियों के बीच में शव पाए जाने की कोई संभावना नहीं थी जैसा कि, जैसा कि 10 किमी/घंटे की रफ्तार से ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने के मामले में होता है, जोकि उस स्थान पर ट्रेनों के लिए अनुमत गति थी जो उसी को पार कर रही थी, पीड़ित के शरीर के पटरी के किनारे गिरने की संभावना होगी क्योंकि यह दूसरी पटरी के बीच में लुढ़क नहीं सकता है। 2010 के एफ. ए. ओ. संख्या 438 में 14.09.2011 को दिए गए "महिपाल जगिद बनाम भारत संघ" के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए न्यायाधिकरण ने माना कि हालांकि कोई सकारात्मक सबूत नहीं है, लेकिन संभावना को संतुलित करने पर, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मृतक की मौत ट्रेन से कटकर हुई है। अंतत: दावा आवेदन खारिज कर दिया गया। हालाँकि, मुद्दा संख्या 3 का निर्णय आवेदकों/अपीलकर्ताओं के पक्ष में यह मानते हुए किया गया है कि आवेदक मृतक के आश्रित हैं और इसलिए, वे दावा आवेदन दाखिल करने के हकदार हैं।

(8) उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, इस न्यायालय ने पक्षों को सुना है और इस मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

(9) मृतक की विधवा ए. डब्ल्यू. 1 रेशु ने अपने हलफनामे में दावा आवेदन में दिए गए कथनों को दोहराया है। जिरह के समय, उसने कहा है कि उसका पति उसके साथ उसके मायके मुजफ्फर नगर गया था।

वह वहीं रह गई और उसके बाद मृतक अकेले ही दिल्ली और फिर अंबाला आ रहा था। उसे दुर्घटना के बारे मे 15.05.2010 की सुबह उसे अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से पता चला। ए. डब्ल्यू. 1 का यह रुख इस बात से पुष्ट होता है कि मृतक के शव की तलाशी मे अंबाला छावनी से मुजफ्फर नगर तक के दो टिकट मिले। न्यायाधिकरण ने उत्तरवादी-रेलवे के इस रुख को स्वीकार कर लिया है कि नकद राशि और अन्य सामान पाए गए और दो अन्य रेलवे टिकट पाए गए, लेकिन संबंधित यात्रा के लिए कोई टिकट बरामद नहीं हुआ, जिसका मतलब यह होगा कि मृतक एक प्रामाणिक यात्री नहीं था। हालांकि, **भारत संघ बनाम रीना देवी** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि केवल शव की तलाशी से रेलवे टिकट नहीं मिलना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि मृतक बिना टिकट यात्री था क्योंकि चीजें उपस्थित परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी परिस्थितियों से पता चलता है कि उसने अंबाला छावनी से मुज्जफरनगर तक दो रेलवे टिकट खरीदे, यानि अपने और अपनी पत्नी के लिए और फिर वे नई दिल्ली आ गए। दावा आंदोलन मे कहा गया है कि उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अंबाला छावनी तक रेलवे टिकट खरीदे, जहां वह मजदूर के रूप में काम करता था। हालाँकि, कोई टिकट नहीं मिला, लेकिन उसके पास टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी यानि, 1580/- रुपए पाए गए। ऐसी परिस्थितियों में, यह मानना बहुत कठोर होगा कि मृतक अपनी पत्नी के साथ अंबाला छावनी से मुजफ्फर नगर जाते समय टिकट खरीदेगा लेकिन नई दिल्ली से अंबाला छावनी तक की यात्रा के लिए उसने अपने लिए कोई टिकट नहीं खरीदा होगा, चाहे उसके पास पर्याप्त पैसा था। ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना टिकट यात्री होगा, बल्कि उसके उपरोक्त आचरण से पता चलता है कि वह हमेशा टिकट खरीदने के लिए इच्छुक था। ऐसा कहने पर इस तरह की रेल दुर्घटना में टिकट खोने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि होगी। जानमाल का नुकसान होगा।

(10) उपरोक्त के अलावा, डीआरएम. की रिपोर्ट सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह पता नहीं चल सका कि दुर्घटना स्थल या आस-पास के क्षेत्र में मृतक के सामान को बरामद करने या पता लगाने के लिए व्यापक खोज की गई थी। ऐसी स्थिति में, उपस्थित परिस्थितियों से पता चलता है कि मृतक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना टिकट यात्रा करता था क्योंकि उसने 12.05.2010 को अंबाला छावनी से मुजफ्फर नगर तक अपनी यात्रा के लिए टिकट खरीदा था और इस प्रकार की गंभीर दुर्घटना मे ऐसे टिकट खोने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, लेकिन मृतक के सामान का पता लगाने के लिए कोई व्यापक खोज नहीं की गई थी।

(11) ऊपर की गई चर्चा के अनुसार, मृतक को एक प्रामाणिक यात्री माना जाना चाहिए।

(12) एक अन्य आधार जिस पर दावेदार/अपीलकर्ता गैर-उपयुक्त रहे हैं, वह यह है कि दुर्घटना किसी ट्रेन से टकराकर भागने का मामला प्रतीत होता है। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि शव उत्तर प्रदेश ट्रैक के बीच में पाए जाने के कारण, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उसे किसी ट्रेन ने टक्कर मार दी होगी क्योंकि ट्रेन चलते समय कोई व्यक्ति दुर्घटनावश गिर गया हो तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरे ट्रैक पर क्योंकि उस स्थान पर ट्रेनों को केवल 10 किमी/घंटा की गति से आगे बढ़ने की अनुमति थी। ऐसे मे, इस बात की कोई संभावना नहीं होगी कि कोई व्यक्ति गिरेगा और उसका शव अगले ट्रैक के बीच में लुढ़क जाएगा।

(13) मेरी सुविचारित राय में, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है। चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने की स्थिति में शव किस स्थान पर और कितनी दूरी पर गिरेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चलती ट्रेन को देखते हुए कि शरीर मे कितनी जड़ता थी। यह उस समय चलने वाली हवा के वेग और दिशा पर भी निर्भर करेगा ऐसे मे इस विषय का कोई विशेषज्ञ ही उचित जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि चलती ट्रेन की गति को देखते हुए शव अगली पटरी पर पहुंचा होगा या नहीं। ऐसा नहीं लगता कि डीआरएम की पूछताछ के समय किसी विशेषज्ञ से ऐसी कोई राय मांगी गई हो। इसलिए, ट्रिब्यूनल जिस नतीजे पर पहुंचा है, उस नतीजे पर पहुचना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि दाहिने पैर, नाक और खोपड़ी के पार्श्वक्षेत्र में फ्रैक्चर थे और पूरे शव पर चोट के निशान थे। अब सवाल यह होगा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि मृतक रेलवे लाइन पार करने के प्रयास मे चलती ट्रेन की चपेट में आ गया तो क्या उपरोक्त चोट की प्रकृति होगी ? उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से कुचल दिया जाता है, तो उसका शरीर क्षत-विक्षत स्थिति में पाया जाएगा और कई टुकड़ों में काटा जा सकता है, हालांकि, यदि चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिर जाता है तो टुकड़े टुकड़े होने और पूरे शरीर पर चोट लगने संभावना हमेशा बनी रहेगी। जहाँ तक महिपाल जगिद (सुप्रा) के मामले में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का सवाल है, वह इस तथ्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि घटना का स्थान सहादरा से ज्यादा दूर नहीं था जहाँ मृतक का विद्यालय स्थित था, इस प्रकार, मृतक किसी भी कारण से ट्रेक पर आया होगा और उसे पार करने की कोशिश की होगी और ट्रेन से उलझ गया होगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस मामले को उस मामले के दायरे मे लाना बहुत मुश्किल होगा जो उपरोक्त मामले मे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा तय किया था।

(14) उपरोक्त चर्चा के संबंध में, इस न्यायालय की राय है कि परिस्थितियाँ पीड़ित के दुर्घटनावश गिरने के कारण रेलवे की अप्रिय घटना होने की ओर इशारा करती है और इस प्रकार अंक क्रमांक के सबंध मे दर्ज निश्क्र्श और न्यायधिकरण संख्या 1 व 2 को रद्द कर दिया गया है और यह माना गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में, दावेदार/अपीलार्थी वैधानिक मुआवजे की राशि के हकदार होंगे।

(15) जहां तक न्यायाधिकरण द्वारा मुद्दा संख्या 3 पर दर्ज किए गए निष्कर्षो का सबंध है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

(16) उपरोक्त के अनुसार, अगला मुद्दा यह होगा कि उचित और उचित वैधानिक मुआवजा राशि क्या होगी जो दावेदारो और अपीलार्थियो को उपलब्ध होगी।

(17) आम तौर पर, रेलवे दुर्घटना और अप्रिय घटना (मुआवजा) नियम, 1990 के अनुसार दुर्घटना की तारीख पर उपलब्ध मुआवजा की राशि, 4 लाख रुपये की राशि होगी। हालांकि, रीना देवी (सुप्रा) के मामले में, शीर्ष अदालत ने माना है कि यदि अधिनिर्णय की तारीख पर, 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी होंने वाले उपरोक्त नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार बढ़ी हुए राशी उपलब्ध थी और यदि बढ़ी हुई राशि उचित ब्याज जोड़ने के बाद भी पहले के प्रावधान के तहत उपलब्ध राशि से अधिक होगी, तो दोनों में से जो अधिक होगा वह उचित और उचित मुआवजा होगा। हालांकि, न्यायाधिकरण ने 29.09.2011 को मामले का फैसला किया है कि जिस तारीख को उपरोक्त नियमों में संशोधन उपलब्ध नहीं था, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि न्यायाधिकरण ने कोई पुरस्कार नहीं सुनाया है, बल्कि उसने दावा आवेदन को खारिज कर दिया है और मुआवजे की राशि दावेदारों/अपीलार्थियों को इस न्यायालय के वर्तमान निर्णय के तहत प्रदान की जा रही है। इस प्रकार, मेरे विचार में, उस तारीख के अनुसार जो अधिक राशि उपलब्ध होगी, वह उचित और उचित मुआवजा राशि होगी। यदि उपरोक्त संशोधन से पूर्व नियमानुसार मिलने वाली चार लाख रुपए की राशि को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष वार्षिक दर से ब्याज के साथ जोड़ दिया जाए तो भी यह लगभग 7,24,000/- रुपये ही होगी। जो उपरोक्त संशोधन के बाद बढ़ाई गई राशी यानि 8 लाख रुपए से कम होगी। इस प्रकार, दोनों में से जो अधिक होगा, यानी 8 लाख रुपये की राशि वर्तमान मामले में उचित और उचित मुआवजा होगा। उक्त मुआवजे की राशि पर वर्तमान आदेश की तारीख से दावेदार/अपीलार्थी मे भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगेगा

(डॉ. रवि रंजन, न्यायमूर्ति)

(18) परिणामस्वरूप यह अपील, ऊपर बताई गई सीमा तक लागत के साथ स्वीकार की जाती है, जिसका मूल्याकन 5 हजार रुपए किया गया है।

इन्द्रपाल सिंह दोआबिया

अस्वीकरण-स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

(सरोज बाला)
अनुवादक